न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म.प्र.)

विनोद सिंह तनय श्री ददोली सिंह, उम्र 38 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम दादर, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म.प्र.)

R 1597-I/07

..... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती पार्वती पत्नी श्री रामटहल, उम्र 50 वर्ष, पेशा घरु कार्य, निवासी मौजा दादर, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म.प्र.)

..... उत्तरवादिया

प्रस्तुत निगरानी विरुद्ध माननीय अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा मण्डल द्वारा पारित अपील प्रकरण क्रमांक 171/अपी./99–2000 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2007

प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रकरण संक्षेप में निम्न हैं :–

1. यह कि निगराकार द्वारा मौजा दादर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा की भूमि क्रमांक 82, 83, 84, 85 का एक चौथाई हिस्सा दशरथ सिंह तनय श्री बलिराज सिंह, निवासी ग्राम दादर से दिनांक 19.06.1989 को क्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री वक्त ही क्रयशुदा भूमि की चौहद्दी का उल्लेख रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र में था। उक्त भूमियों का उत्तर–दक्षिण दिशा में पूर्व की ओर भूमि का बिक्री होना लेख होने के बाद उसी भू–खण्ड का कब्जा दखल भी निगराकार को मिला तभी से करीब 17 वर्षों से निगराकार का कब्जा दखल क्रय शुदा हिस्से में रहा आया किन्तु शेष तीन हिस्से को क्रय करने के बाद उत्तरवादिया द्वारा राजस्व निरीक्षक से मिलकर भूमि के शासकीय नक्शे में लाल स्याही से उत्तर–पश्चिम हिस्सा पूर्व की ओर अपना दर्शाते हुए पश्चिमी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1597–एक/07 जिला–रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
15-3-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क0 171/अपील/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2007 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा विवादित आराजी का नक्शा तरमीम किया गया जिस पर अनावेदक के द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में संहिता की धारा 113 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जहां पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि संहिता की धारा 113 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है। उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि मौके की स्थिति के अनुसार कार्यवाही करें। जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी संबंधित तहसीलदार कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया। जहां पर तहसीलदार ने आवेदन पत्र को निरस्त किया । इससे परिवेदित होकर अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया	

गया जिससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। जो उनके द्वारा दिनांक 01.08.07 से स्वीकार की गई। इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा मौजा दादर तहसील सिरमौर जिला रीवा की भूमि कमांक 82, 83, 84, एवं 85 का एक चौथाई हिस्सा दशरथ सिंह तनय बलराज सिंह ग्राम दादर से दिनांक 19.06.89 को कय किया था। जिसकी रजिस्ट्री वक्त ही कयशुदा की भूमि की चौहद्दी का उल्लेख रजिस्टर्ड विकय पत्र में था। उक्त भूमियों का उत्तर—दक्षिण दिशा में पूर्व की ओर भूमि का विकी होना लेख होने के बाद उसी भू खण्ड का कब्जा दखल भी निगराकार को मिला तभी से करीब 17 वर्षो से रह रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आगे अपने तर्क में कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा जांच प्रतिवेदन हेतु आदेशित किया किन्तु तहसीलदार सिरमौर द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा को प्रतिवेदन भेजकर दिनांक 26.06.96 के आदेश मुताबिक अधिकारिता वह्मय आवेदन का उल्लेख कर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जो विधि प्रावधानों के अनुसार सही नहीं है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2007 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4— अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखीय बहस में तर्क किया है कि आवेदक द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह उसे

निगरानी करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि निगरानीकर्ता का विवादित भूमि में किसी तरह का कोई हक व स्वत्व नहीं है। क्यों कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रीवा के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.97 का वाद शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि निगरानीकर्ता विक्रय पत्र दिनांक 1906.89 के आधार पर अपना स्वत्व बता रहा है। उस विक्रय पत्र को पूर्णतः अवैध घोषित किया जा चुका है। निगरानीकर्ता द्वारा पुनः न्यायालय माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 जिला रीवा के न्यायालय में प्रकरण कमांक 10/2007 दिनांक 10.07.07 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 01.08.14 को आदेश पारित किया जा चुका है। इसलिये आवेदक को किसी तरह का कोई वैधानिक अधिकार विवादित भूमि में नही है। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26.06.96 को जो यह निष्कर्ष निकाला है कि नक्शा सुधार की कार्यवाही धारा 114 के तहत नहीं की जा सकती है तथा तहसीलदार नक्शा सुधार के लिये सक्षम अधिकारी नहीं है। उक्त निष्कर्ष तहसीलदार का पूरी तरह से वैधानिक है क्यों कि कानूनगो द्वारा जो नक्शा मौके से तरमीम किया गया था वह दोनों पक्षों की उपस्थिति में किया गया था जिसमें अन्य किसी न0 पर कोई विवाद नहीं है। मात्र आराजी न0 84/1 भाग पर निगरानीकर्ता द्वारा विरोध दर्ज किया गया था इस कारण अपर आयुक्त महोदय का आदेश पूर्णतः वैधानिक है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदक शासकीय भूमि हड़पने के उददेश्य से उक्त विवाद प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि

तहसीलदार सिरमौर का आदेश एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश उचित एवं सही है । अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि माननीय व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5—उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में इस बात पर बल दिया गया है कि आवेदक द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह उसमें हितबद्व पक्षकार ही नहीं है और न ही उसे निगरानी करने का अधिकार है। उनके द्वारा अपने तर्क में तथा लेखी बहस में यह भी तर्क दिया गया है कि माननीय व्यवाहार न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 रीवा के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.97 का वाद शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि निगरानीकर्ता विकय पत्र दिनांक 19.06.89 के आधार पर अपना स्वत्व बता रहा है। उस विकय पत्र को पूर्णतः अवैध घोषित किया जा चुका है। इसलिये निगरानी बलहीन हो जाती है।

6— प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने दिनांक 26.6.96 को यह निष्कर्ष निकाला है कि नक्शा सुधार की कार्यवाही धारा 114 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत नहीं की जा सकती है तथा नक्शा सुधार के लिये सक्षम अधिकारी नहीं

है उसका निष्कर्ष उचित है। संहिता में नक्शा सुधार के लिये अलग धारा बनाई गई है तथा उसके लिये सक्षम प्राधिकारी भी बनाया गया है। तहसीलदार नक्शा सुधार के लिये सक्षम अधिकारी नहीं है तथा जब राजस्व निरीक्षक के द्वारा नक्शा तरमीम की कार्यवाही पूरी की गयी है तो उस आदेश को अनावेदक ने किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। कोई भी आदेश सही है या गलत उस आदेश को जब तक निरस्त नहीं किया जाता तब तक उसके सही होने की उपधारणा की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा संहिता की धारा 114 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पुनः जांच हेतु आदेशित करने की कार्यवाही विधिपूर्ण नहीं होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 171/अपील/99—2000 में पारित आदेश दिनांक 1.8.2007 विधि प्रावधानों से उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)

सदस्य